संख्या-9/2017/डी-119 /38-2-2017-2(106)डी/2008

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 12 मई, 2017**

विषय :- वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-1 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार ग्राम्य विकास विभाग में संविलियित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को दिनांक 18-07-2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-डी-383/38-2-2016-2(17)डी/2006, दिनांक 18 जुलाई, 2016 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्राम्य विकास विभाग में तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ संविलियित किया गया है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किये जाने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा। इन कार्मिकों के संवर्ग को "डाईंग कैडर" घोषित करते हुए, नयी पेंशन योजना वर्ष 2005 से आच्छादित करने एवं संविलियन के फलस्वरूप कोई भी लाभ पूर्वगामी तिथि से न दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक से विकल्प प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी कर्मी को यह विकल्प स्वीकार नहीं हैं तो उसे पूर्व की भांति सोसाइटी का कर्मी बने रहने का विकल्प रहेगा।

2- वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-65/2016-वे0आ0-2-1442/दस-04 (एम)/2016, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा वेतन पुनरीक्षण तथा शासनादेश संख्या-67/2016 /वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अथवा सम्बन्धित कार्मिक के विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य किये जाने/वेतन निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के ऐसे कार्मिकों, जिनके द्वारा ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन के विकल्प को स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें डी0आर0डी0ए0 में प्रतिनियुिक्ति पर मानते हुए वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के उपर्युक्त शासनादेशों दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016/विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण काल्पनिक रूप से करते हुए निर्धारित वेतन का वास्तविक भुगतान दिनांक 18-07-2016 से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्तानुसार वेतन निर्धारण के फलस्वरूप दिनांक 18-07-2016 से दिनांक 31-12-2016 तक के देय अवशेष का भुगतान उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार किया जायेगा। माह जनवरी, 2017 से भुगतान नकद किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-415 /दस-2017, दिनांक 05 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/ 2017 /डी-119 (1)/38-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उ0प्र0, वित्त विभाग।
7- समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in